



भारत सरकार

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, म.प्र. एवं छ.ग., भोपाल  
आयकर भवन, 48-अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल  
दूरभाष क्र. 0755-2557189, फैक्स क्र. 0755-2572474

फ.स.प्र.मु.आ.आ./म.प्र./भो./CGEWCC/AMA/2018-19

दिनांक 27/02/2019

प्रति,

समस्त केंद्रीय कार्यालय प्रमुख  
केन्द्रीय सरकार कार्यालय,  
भोपाल

महोदय/महोदया,

विषय: अधिकृत चिकित्सक का पैनल (AMA) की वैधता को दिनांक 01/04/2019 से  
31/03/2020 तक के लिए बढ़ाने के सम्बंध में:-

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

उपरोक्त विषय में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है की भोपाल स्थित केंद्रीय कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की चिकित्सा हेतु अधिकृत चिकित्सक का पैनल (AMA) तथा पैथोलॉजिकल लैब /डायग्नोस्टिक लैब की वैधता को दिनांक 01/04/2018 से 31/03/2019 तक के लिए निरंतर किया गया था। इस पैनल की वैधता 31/03/2019 दिनांक को समाप्त हो रही थी।

उपरोक्त पैनल को आगामी एक वर्ष अर्थात दिनांक 01/04/2019 से 31/03/2020 तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(एस.के.ढोके)



सहायक आयकर आयुक्त (ओ.एस.डी.) एवं  
सचिव, केंद्रीय सरकार कार्यकारी कल्याण समन्वय समिति  
(CGEWCC), भोपाल